
विषय-सूची

- प्रमुख धाराएँ..... 3-6
 - भाग-1 : सामान्य..... 7-10
 - भाग-2 : धारा 1 से 4..... 11-16
 - अध्याय 1 : प्रारम्भिक (धारा 1 से 4)
 - भाग-3 : धारा 5 से 55 17-43
 - अध्याय 2 : तथ्यों की सुसंगति के विषय में (धारा 5 से 55)
 - भाग-4 : धारा 56 से 58..... 44-47
 - अध्याय 3 : तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है (धारा 56 से 58)
 - भाग-5 : धारा 59 तथा 60..... 48-49
 - अध्याय 4 : मौखिक साक्ष्य के विषय में (धारा 59 तथा 60)
 - भाग-6 : धारा 61 से 90..... 50-61
 - अध्याय 5 : दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में (धारा 61 से 90)
 - भाग-7 : धारा 91 से 100..... 62-67
 - अध्याय 6 : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में (धारा 91 से 100)
 - भाग-8 : धारा 101 से 114 (क)..... 68-78
 - अध्याय 7 : सबूत के भार के विषय में [धारा 101 से 114 (क)]
 - भाग-9 : धारा 115 से 117..... 79-81
 - अध्याय 8 : विबंध (धारा 115 से 117)
 - भाग-10 : धारा 118 से 134..... 82-90
 - अध्याय 9 : साक्षियों के विषय में (धारा 118 से 134)
 - भाग-11 : धारा 135 से 166..... 91-101
 - अध्याय 10 : साक्षियों की परीक्षा के विषय में (धारा 135 से 166)
 - भाग-12 : धारा 167..... 102-103
 - अध्याय 11 : साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा (धारा 167)
-